[श्री तारिक अनवर]

उन्हें मार डालना मामूली बात हो गई है। गृह मन्त्री जी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दिल्ली में पिछले एक वर्ष में इस प्रकार की हुई आत्म-हत्याओं में लगभग सभी में पुलिस द्वारा 302 दफा की बजाय 306 में मामले दर्ज किए गये। ऐसा क्यों ?

यदि गृह मन्त्री जी तहेदिल से चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री जी की इच्छा के अनुकूल समाज से दहेज की बुराई समाप्त हो तो यह जरूरी है कि वह इस प्रकार के मामलों में स्वयं जानकारी लें कि अमुक केस दफा 302 में क्यों दर्ज नहीं किया गया और दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें और इसी प्रकार के स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारों को भी भेजे जावें। केवल कहने से यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूँगा कि गृह मन्त्री जी बतायें कि उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली): सदन में कदम उठाये हैं या सदन के बाहर गृह मन्त्री ने कदम उठाये हैं ?

(II) DEMAND FOR INCLUSION OF THE ADIVASIS 'KOL' CASTE IN THE LIST OF SCHEDULED TRIBES IN U. P.

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, हमीर पुर, झांसी, ललितपुर जनपदों में आदिवासी अत्यधिक संख्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण इन्हीं जिलों से लगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में कोल (आदिवासी) अनुसूचित जन जाति की सूची में आते हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में कोल (आदिवासी) अनुसूचित जाति में आते है। इन्हें जन जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है जिससे इन्हें हर तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। नौकरी पढ़ाई आदि में अनुसूचित जन जाति की सुविधायें नहीं प्राप्त हो सकी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल (आदिवासी) को अनुसूचित जन जाति में करने का निर्णय लिया है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को केन्द्र से स्वीकृति न मिलने से अड़चन बराबर बनी हुई है।

मेरा केन्द्रीय गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर के कोल (आदिवासी) जाति को अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल कर लें।

(III) ALLEGED DELAY IN ATTENDING TO COMPLAINTS ABOUT WORKING OF TELEPHONES IN VARANASI

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज वाराणसी में लगभग 50 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। और खराब पड़े हुए हैं। यह स्थिति लगभग पिछले एक वर्ष से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी में टेलीफोन विभाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। टेलीफोन की शिकायतें अधिकतर दर्ज नहीं की जातीं और टेलीफोन खराब होने के बाद उपभोक्ताओं को 15, 15 दिन और 20, 20 दिन तक टेलीफोन मिस्त्री का इन्तजार करना पड़ता है। टेलीफोन मिस्त्री तभी टेलीफोन ठीक करने जाता है, जब उपभोक्ता दफ्तर में जाकर काम करने वालों को खुश करते हैं। टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को भी सरकार और शासन का कोई भय नहीं रह